

दिनांक 01.11.2022

प्रार्थी/अभियुक्त श्री मौ० साहिब की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती ममता उपस्थित। मेमो आफ ऐपीयरेंस प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दोषी होने के अभिवचन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 194-सी तथा 194-डी मोटर वाहन अधिनियम चालान प्रस्तुत किया गया है। दोषी होने के अभिवचन प्रस्तुत किये जाने के आधार पर अभियुक्त को अंतर्गत धारा 194-सी रू० 1000 (एक हजार रुपये) तथा धारा 194-डी रू० 1000 (एक हजार रुपये) जुर्माने कुल 2000 रू (दो हजार रुपये) जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को 1 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।

रवि प्रकाश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।